न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

मु0नं0 1/286/2020 तारीख रज्जू 22.09.2020 निर्णय दि0 06.03.2024

1. रामस्वरूप पुत्र श्री बीरबल, जाति जाट, निवासी खानपुर जाट तहसील जिला अलवर(राज0) – मृतक
   1/1– श्रीमती रामबाई पत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप
   1/2– जवाहर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप, जातियान जाट, निवासीयान ग्राम खानपुर जाट, तहसील जिला अलवर
   1/3– शीला देवी पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप पत्नि श्री रामजीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम नाहरपुर तहसील व जिला अलवर
   1/4– सुशीला पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप पत्नि श्री चतर सिंह, जाति जाट निवासी ग्राम जाटका शीशवाना, तहसील फिरोजपुर झिरका, हरियाणा
   1/5– बिरमा पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप पत्नि श्री प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम जाटका शीशवाना तहसील फिरोजपुर झिरका, हरियाणा

...........वादीगण

बनाम

अजीराम पुत्र श्री रामहेत, जाति जाट, निवासी ग्राम खानपुर जाट, तहसील व जिला अलवर

............असल प्रतिवादी

तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील व जिला अलवर राज0

.......तरतीबी प्रतिवादी

राजस्व वाद बाबत दुरूस्त कराए जाने नक्शा बन्दोबस्त हाल संवत 2051

श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल अधिवक्ता ....वकील वादीगण

श्री मुकुट बिहारी दायमा अधिवक्ता..................वकील प्रतिवादी सं0 1

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर साबिक 64 रकबा 01 बीघा 1[illegible] जिसके हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर व 100/603 रकबा [illegible] है ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 में स्थित है। साबिक आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर [illegible] तहसील जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार वादी चला आ रहा था और साबिक खसरा नंबर 80 रकबा 0[illegible] बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार प्रतिवादी संख्या एक चला आ रहा था। जिन्होने हाल बन्दोबस्त से पूर्व अपनी उक्त आराजीयात का परस्पर सहमति से तहसीलदार साहब के समक्ष तबादला पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वादी ने अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 09 बिस्वा रकबा प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा से बदल लेने बाबत पेश किया जिसे तहसीलदार साहब ने दोनो खातेदारो की सहमति लेकर स्वीकार कर पटवारी हलका को नामांतकरण खुलवाने हेतु आदेश प्रदान किया जिसे आदेशानुसार वादी के नाम आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का अमल एवम प्रतिवादी संख्या एक के नाम आराजी खसरा नंबर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का अमल करने बाबत नामांतकरण संख्या 86 दिनांक 03.05.1994 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार हो गया। साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा जो शेष बचा था वह वादी के नाम ही खातेदारी में रह गया था।

हाल सैटलमैण्ट में साबिक खसरा नंबर 64 के दो नये नम्बर बनाए गए। साबिक आराजी खसरा नम्बर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का नया हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर एवं साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर बनाया गया और उसी के अनुसार हाल खतौनी एवं जमाबन्दी में भी इसी प्रकार यानि हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी में एवं हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर वादी के नाम खातेदारी में अमल आ गया जो सही आया है। बन्दोबस्त के कर्मचारियान ने जो नक्शा बनाया है वह मौके के अनुसार नही बना कर यानि जिस स्थान तरफ पूर्व की ओर वादी काबिज था उसका खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 नहीं दर्शाकर आराजी खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम है, का भाग दर्शा दिया और तरफ पश्चिम को जहां प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा था उसे वहां नहीं दर्शाकर वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा दिया जिससे प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से एवम खसरा नम्बर एवम रकबा में भिन्नता आ गई है। यानि वादी का रकबा जहां वादी तरफ पूर्व को काबिज है वह आराजी खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर नही होकर खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर बन गया है और जहां प्रतिवादी संख्या एक तरफ पश्चिम को अपने खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर पर काबिज है वहां वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा देने से वादी व प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से रकबे खसरा नंबरान में अंतर आ गया है। जिससे वादी को परेशानी का सबब बन गया है और नापूर्ति होने वाला नुकसान होने की संभावना पैदा हो गई है।

सैटलमैण्ट के कर्मचारियान द्वारा नक्शा हाल बंदोबस्त को बनाते समय यह गलती सहवन हो गई है जिसकी जानकारी वा[illegible] पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 10.06.2012 को हुई। जिस पर वादी [illegible]कारी करके राजस्व रिकॉर्ड की नकले तहसील कार्यालय, [illegible] से निकलवाई तो जानकारी हुई कि हाल खतौनी जमाबन्दी वगैरह [illegible]किन सही आया है लेकिन नक्शा हाल में सहवन से सैटलमैण्ट के कर्मचारियान से गलती से अंकन गलत हो गया है जो अंकन मौके कब्जे के खिलाफ किया है। बन्दोबस्त कर्मचारियान को मौके व कब्जे के अनुसार नक्शा बनाना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा ऐसा नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करके उन्होने अहम कानूनी गलती की है जो काबिल दुरस्ती है। जिस नक्शा की दुरस्ती के लिए यह दावा बिना देरी के पेश है। दावा वादी दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 उपस्थित।

प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर साबिक 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर व 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 में स्थित है दावा हाजा में विवादित गलत बयान की है। जो अस्वीकार है। साबिक आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार वादी चला आ रहा था और साबिक खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या एक चला आ रहा था। यह भी सही है कि वादी तथा मिन प्रतिवादी ने हाल बन्दोबस्त से पूर्व अपनी उक्त आराजीयात का परस्पर सहमति से तहसीलदार साहब के समक्ष तबादला पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वादी ने अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 09 बिस्वा रकबा प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा से बदल लेने बाबत पेश किया जिसे तहसीलदार साहब ने दोनो खातेदारो की सहमति लेकर स्वीकार कर पटवारी हलका को नामांतकरण खुलवाने हेतु आदेश प्रदान किया जिसे आदेशानुसार वादी के नाम आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का अमल एवम प्रतिवादी संख्या एक के नाम आराजी खसरा नंबर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का अमल करने बाबत नामांतकरण संख्या 86 दिनांक 03.05.1994 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार हो गया। साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा जो शेष बचा था वह वादी के नाम ही खातेदारी में रह गया था।

हाल सैटलमैण्ट में साबिक खसरा नंबर 64 के दो नये नम्बर बनाए साबिक आराजी खसरा नम्बर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का नया हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर एवं साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर बनाया गया और उसी के अनुसार हाल खतौनी एवं जमाबन्दी में भी इसी प्रकार यानि हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी में एवं हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर वादी के नाम खातेदारी में अमल आ गया जो सही आया है।

बन्दोबस्त के कर्मचारियान ने जो नक्शा बनाया है वह मौके के अनुसार नही बना कर यानि जिस स्थान तरफ पूर्व की ओर वादी काबिज था उसका खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 नहीं दर्शाकर आराजी खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर जो मिन प्रतिवादी संख्या एक के नाम है, का भाग दर्शा दिया और तरफ पश्चिम को जहां मिन प्रतिवादी संख्या एक का क[illegible]र वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा दिया [illegible] प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से एवम खसरा नम्बर एवम रकबा मे भिन्नता आ [illegible] है। यानि वादी का रकबा जहां वादी तरफ पूर्व को काबिज है वह आराजी [illegible] 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर नही होकर खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर बन गया है और जहां मिन प्रतिवादी संख्या एक तरफ पश्चिम को अपने खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर पर काबिज है वहां वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्शा देने से वादी व मिन प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से रकबे खसरा नंबरान में अंतर आ गया है। सैटलमैण्ट के कर्मचारियान द्वारा नक्शा हाल बंदोबस्त को बनाते समय यह गलती सहबन हो गई है तथा हाल खतौनी जमाबन्दी वगैराह में तो अंकन सही आया है लेकिन नक्शा हाल में सहबन से सैटलमैण्ट के कर्मचारियान से गलती से अंकन गलत हो गया है जो अंकन मौके कब्जे के खिलाफ किया है। बन्दोबस्त कर्मचारियान को मौके व कब्जे के अनुसार नक्शा बनाना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा ऐसा नही करके उन्होने अहम कानूनी गलती की है जो काबिल दुरस्ती है। जिसकी दुरस्ती किए जाने में मिन प्रतिवादी उतरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में अंकित किया गया है कि दावे में सरकार हित पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। बिन्दू सं0 12 के अनुसार तहसीलदार को भूमिधारक होने के नाते पक्षकार बनाया गया । अतः कानूनन आदेश जारी फरमावे।

दावा व जवाब दावा दावे के उपरान्त वाद में तनकीयात कायम की गई।

1– आया वाद वादी विवादित आराजी में वादीगण का कब्जा तरफ पूर्व को उत्तर से दक्षिण बदस्तूर रहना तय हुआ लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं होने के कारण दुरूस्त कराने का अधिकारी है। ......वादी

2– आया वाद बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा मौका खिलाफ है जिसे दुरूस्त कराने का अधिकारी है। ....प्रतिवादी

3– आया वाद खसरा नंबर 100 के पूर्व की ओर वादी काबिज है। खसरा नंबर 100/609 की आकृति में प्रतिवादी का कब्जा है। ....प्रतिवादी

4– आया वाद बटा नंबर की आकृति खसरा नंबर 100 में तरफ पूर्व की ओर बनाई जानी चाहिए थी। .....प्रतिवादी

5– अन्य अनुतोष ?

वादीगण की ओर से दावे के समर्थन में जवाहर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप जिसने पीडब्लू–1 के शपथ पत्र पर बयान कराये गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ईएक्स–1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2051, ईएक्स–2 नामांतकरण संख्या 86, ईएक्स–3 नक्शा संवत 1992–93, ईएक्स–4 नक्शा सन् 1920–33 तक, ईएक्स–5 जमाबन्दी संवत् 2065–68 तक तीन प्रति, ईएक्स–6 जमाबन्दी संवत् 2045, ईएक्स–7 जमाबन्दी संवत् 2069–74 तक की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

वादीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित साबिक आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार वादी चला आ रहा था और साबिक खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या एक चला आ रहा था जिन्होने हाल बन्दोबस्त से पूर्व अपनी आपसी रजामंदी व आपसी सहमति से तहसीलदार साहब के समक्ष तबादला पत्र इस प्रकार पेश किया कि वादी ने अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 64 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 09 बिस्वा रकबा प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा से बदल लेने बाबत पेश किया। जिसे तहसीलदार साहब ने दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyot Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारो की सहमति लेकर स्वीकार कर पटवारी हलका को नामांतकरण खुलवाने हेतु आदेश प्रदान किया जिसे आदेशानुसार वादी के नाम आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का अमल एवम प्रतिवादी संख्या एक के नाम आराजी खसरा नंबर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का अमल करने बाबत नामांतकरण संख्या 86 दिनांक 03.05.1994 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार हो गया। साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा जो शेष बचा था वह वादी के नाम ही खातेदारी में रह गया था। सैटलमैण्ट में साबिक खसरा नंबर 64 के दो नये नम्बर बनाए। साबिक आराजी खसरा नम्बर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का नया हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर एवं साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर बनाया गया और उसी के अनुसार हाल खतौनी एवं जमाबन्दी में भी इसी प्रकार यानि हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी में एवं हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर वादी के नाम खातेदारी में अमल आ गया । बन्दोबस्त के कर्मचारियान ने जो नक्शा बनाया है वह मौके के अनुसार नही बना कर यानि जिस स्थान तरफ पूर्व की ओर वादी काबिज था उसका खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 नहीं दर्शाकर आराजी खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम है, का भाग दर्शा दिया और तरफ पश्चिम को जहां प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा था उसे वहां नहीं दर्शाकर वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा दिया जिससे प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से एवम खसरा नम्बर एवम रकबा में भिन्नता आ गई है। यानि वादी का रकबा जहां वादी तरफ पूर्व को काबिज है वह आराजी खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर नही होकर खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर बन गया है और जहां प्रतिवादी संख्या एक तरफ पश्चिम को अपने खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर पर काबिज है वहां वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा देने से वादी व प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से रकबे खसरा नंबरान में अंतर आ गया है। सैटलमैण्ट के कर्मचारियान द्वारा नक्शा हाल बंदोबस्त को बनाते समय हाल खतौनी जमाबन्दी वगैराह में अंकन सही किया गया है लेकिन नक्शा हाल में गलत अंकन हो गया है जो मौके कब्जे के खिलाफ है। बन्दोबस्त कर्मचारियान को मौके व कब्जे के अनुसार नक्शा बनाना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा ऐसा नही नही किय गया, जो काबिल दुरस्ती है।

प्रतिवादी सं0 1 के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि हाल सैटलमैण्ट में साबिक खसरा नंबर 64 के दो नये नम्बर बनाए साबिक आराजी खसरा नम्बर 64 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा का नया हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर एवं साबिक खसरा नंबर 64 मिन रकबा 05 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर बनाया गया और उसी के अनुसार हाल खतौनी एवं जमाबन्दी में भी इसी प्रकार यानि हाल खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी में एवं हाल खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर वादी के नाम खातेदारी में अमल आ गया। बन्दोबस्त के कर्मचारियान ने जो नक्शा बनाया है वह मौके के अनुसार नही बना कर यानि जिस स्थान तरफ पूर्व की ओर वादी काबिज था उसका खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 नहीं दर्शाकर आराजी खसरा नंबर 100 रकबा 0.37

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम है, का भाग दर्शा दिया और तरफ पश्चिम को जहां प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा था उसे वहां नहीं दर्शाकर वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा दिया जिससे प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से एवम खसरा नम्बर एवम रकबा में भिन्नता आ गई है। यानि वादी का रकबा जहां वादी तरफ पूर्व को काबिज है वह आराजी खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर नही होकर खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर बन गया है और जहां प्रतिवादी संख्या एक तरफ पश्चिम को अपने खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर पर काबिज है वहां वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा देने से यह बदलाव आने से वादी व प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से रकबे खसरा नंबरान में अंतर आ गया है।

अतः नक्शा हाल में दुरस्ती किए जाने में प्रतिवादी उतरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबों का मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य ईएक्स–1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2051, ईएक्स–2 नामांतकरण संख्या 86, ईएक्स–3 नक्शा संवत 1992–93, ईएक्स–4 नक्शा सन् 1920–33 तक, ईएक्स–5 जमाबन्दी संवत् 2065–68 तक तीन प्रति, ईएक्स–6 जमाबन्दी संवत् 2045, ईएक्स–7 जमाबन्दी संवत् 2069–74 तक की प्रमाणित प्रति, वादी के पुत्र जवाहर के शपथ पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि बन्दोबस्त के कर्मचारियान ने जो नक्शा बनाया है वह मौके के अनुसार नही बना कर यानि जिस स्थान तरफ पूर्व की ओर वादी काबिज था उसका खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 नहीं दर्शाकर आराजी खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम है, का भाग दर्शा दिया और तरफ पश्चिम को जहां प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा था उसे वहां नहीं दर्शाकर वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा दिया जिससे प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से एवम खसरा नम्बर एवम रकबा में भिन्नता आ गई है। यानि वादी का रकबा जहां वादी तरफ पूर्व को काबिज है वह आराजी खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर नही होकर खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर बन गया है और जहां प्रतिवादी संख्या एक तरफ पश्चिम को अपने खसरा नंबर 100 रकबा 0.37 हैक्टर पर काबिज है वहां वादी का खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 हैक्टर दर्शा देने से यह बदलाव आने से वादी व प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से रकबे खसरा नंबरान में अंतर आ गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम खानपुर जाट तहसील व जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 100/609 रकबा 0.06 है0 व खसरा नबर 100 रकबा 0.37 के नक्शा हाल में इस प्रकार दुरुस्ती फरमाई जावे कि आराजी खसरा नंबर 100/609 रकबा 0.06 है0 जो मौजूदा नक्शा में तरफ पश्चिम को दर्शा रखा है उसे तरफ पूर्व को उत्तर से दक्षिण 0.06 है0 रकबे तक लाईन खेंच कर दर्शाई जावे एवं आराजी खसरा नंबर हाल 100 रकबा 0.37 है0 जो मौजूदा नक्शा हाल में तरफ पूर्व को दर्शाया है उसे 0.37 है0 रकबे तक पैमाईश करके तरफ पश्चिम को उत्तर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria.
Date: 2024.06.03 13:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण दर्शायी जाने हेतु तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री नवज्योति कंवरिया)
आरएएस
सहायक कलेक्टर अलवर

सहायक कलेक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner